



निदेशालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/निकाशि/2005/

दिनांक:-

आदेश

श्री सी.एम. मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के पत्र क्रमांक प. 17(1)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 17-4-13 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2010-11 के बिन्दु संख्या 4(III) में प्रशासन में पादर्शिता लाने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार को प्रभावी ढंग से लागू करने के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन तत्परता से जनहित में पूर्ण जन सुविधा के लिये साथ हो रहा है या नहीं, की समीक्षा हेतु लोक सूचना अधिकारी, और सहायक लोक सूचना अधिकार के अतिरिक्त एक "समर्पित सैल" का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

1. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

५०
(नवीन जैन)
निदेशक

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/निकाशि/2005/ 790-796 दिनांक:- 20-6-13

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 5(5)शिक्षा-3/2013 दिनांक 17-5-13 के संदर्भ में।
2. श्री सी.एम. मीणा, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 17(1)प्रसु/सूअप्र/2010 दिनांक 17-4-13 के संदर्भ में।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. (नोट - क्रम संख्या 3 से 5 तक के अधिकारियों को प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त पत्र दिनांक 17-4-13 की प्रतियां संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि अविलम्ब कार्यवाही करें।
श्री धीरेन्द्र देवर्षि, व्याख्याता कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

21-11-2013
श.ए. लोक सूचना अधिकारी,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।